

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0—03—36/2022

पटना, दिनांक:—

श्रीमती अनामिका, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच) औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 12.04.2025 से 09.05.2025 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती अनामिका के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त $(90-28=62)$ (बासठ) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0—03—36/2022 2696

पटना, दिनांक:—02/04/25

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनामिका, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच) औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

02.04.2025